न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—291 / 2016 / 225(2016 / 00291)

1. शरीफ बेग पुत्र स्व0 सकरू बेग,
2. सम्पत बेग पुत्र स्व0 हासम बेग,
3. जामिल बेग पुत्र स्व0 हासम बेग,
4. आमीन बेग पुत्र स्व0 हासम बेग,
5. इरफान बेग पुत्र स्व0 हासम बेग,
6. इकराम उर्फ कामा पुत्र स्व0 हासम बेग,
7. गुलाबी पुत्री स्व0 हासम बेग,
8. शमीम पुत्री स्व0 हासम बेग,
9. सुलताना पुत्री स्व90 हासम बेग,
10. सरदार पुत्री स्व0 हासम बेग,
11. शरीफन बेगम पुत्री स्व0 हासम बेग,
12. श्रीमती मुरादी बेगम पुत्री स्व0 आलम बेग,
13. शफीक बेग पुत्र स्व0 आलम बेग,
14. मुराद बेग, पुत्र स्व0 हासम बेग,
15. श्रीमती सोनी बेगम पत्नी स्व0 जलाल बेग,
16. जमाल बेग पुत्र स्व0 जलाल बेग,
17. कमला बेग पुत्र स्व0 जलाल बेग,
18. इसराफ बेग पुत्र स्व0 जलाल बेग,
19. मोमीन बेग पुत्र स्व0 जलाल बेग,
20. सम्मन बेग पुत्र स्व0 जलाल बेग,
21. श्रीमती शाहनूर बेगम पुत्री स्व0 जलाल बेग,

समस्त जाति मुसलमान, नि0 ग्राम जिलावड़ा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, दिनांक 21.6.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 40 / 2011.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः—13.03.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 21.6. 2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस / वादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212

राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि अपीलांटस की खातेदारी एवं बापोती कृषि भूमि है परन्तु वर्तमान जमाबंदी में सिवायचक गलत दर्ज कर दी गई है जबकि अपीलाधीन भूमि पर अपीलांटस का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । अतः वाद के विचाराधीन रहते अपीलांटस को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 21.6.2016 द्वारा अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि वर्किंग खसरा नंबर 913 मिन रकबा 8 बिस्वा किस्म चाही एवं खसरा नंबर 917 मिन रकबा 7 बिस्वा भूमि ग्राम जिलावड़ा तहसील नसीराबाद में स्थित है जिसके खातेदार आलम बेग, हासम बेग, जलाल बेग, शरीफ बेग पुत्रगण शकूर बेग, जाति मुगल मुसलमान दर्ज है किन्तु वर्किंग खसरा नंबर 913 मिन की भूमि को वर्तमान खसरा नंबर 767 में सम्मिलित कर दिया गया एवं खसरा नंबर 917 मिन के वर्तमान खसरा नंबर 726/1796 रकबा 0.06 है0 बने है कि जिन्हें वर्तमान जमाबंदी के अनुसार भूप्रबंध विभाग द्वारा गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि वर्किंग जमाबंदी के अनुसार खातेदारी की कृषि भूमि है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि वर्किंग खसरा नंबर 913 मिन रकबा 8 बिस्वा के संदर्भ में अपीलांटस द्वारा वाद संख्या 74/2003 आलम बेग व अन्य बनाम राज0सरकार प्रस्तुत किया गया था जिस पर निर्णय व डिक्री दिनांक 7.5.2005 के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया गया था किन्तु अधी0न्याया0 ने इसे नजरअंदाज अपीलांटस के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण संख्या 40/2001 की आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.7.2016 नियत थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को बिना सूचित किये ही अपीलाधीन आदेश नियत तारीख पेशी दिनांक 20.7.2016 से पूर्व ही दिनांक 21.6.2016 को निर्णित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी अपीलांटस के कथनों की पुष्टि होती है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांटस की पीठ पीछे निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र निरस्त करने में त्रुटि की है । अधी0न्याया0 ने धारा 22 राज0काश्त0अधि0 के तीनो मुख्य बिन्दु सुविधा का संतुलन, प्रथमदृष्टया प्रकरण, एवं आर्थिक नुकसान के संदर्भ में अपने निर्णय में बिना विवेचन किये निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त कर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर ताफैसला मूल वाद प्रतिवादी/रेस्पो0 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है । अपीलांटस वर्तमान में विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं होने से किसी प्रकार की निषेधज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्किंग खसरा नंबर 913 मिन रकबा 8 बिस्वा एवं खसरा नंबर 917 मिन

रकबा 7 बिस्वा ग्राम जिलावड़ा वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 में अपीलांट के नाम खातेदारी दर्ज है तथा अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 913 मिन के संबंध में अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट द्वारा पूर्व में नियमित राजस्व वाद संख्या 74/2003 आलम बेग व अन्य बनाम राज0सरकार में खसरा नंबर 913 मिन अपीलांट की खातेदारी मानते हुए दिनांक 7.5.2005 को निर्णय व डिक्री पारित की है । दौराने सैटलमेंट अपीलांट की अपीलाधीन खातेदारी भूमि खसरा नंबर 913 मिन व 917 मिन गलत रूप से सिवायचक दर्ज होना प्रकट होता है । अपीलाधीन भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज करने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.7.2016 नियत थी परन्तु पत्रावली कैम्प कानाखेड़ी में नियत दिनांक से पूर्व अपीलांट को नोटिस दिये बिना दिनांक 21.6.2016 को रखी जाकर निर्णित कर दी गई जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होकर अविधिक है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 एवं पूर्व पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7.5. 2005 का अवलोकन किये बिना ही एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किये जल्दबाजी में दौराने कैम्प प्रकरण को निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 21.6.2016 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 21.6.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन, विश्लेषण कर प्रकरण को गुणावगुण पर दो माह में निर्णित करे तब तक उभयपक्ष विवादित आराजी की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 13.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर